अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी

1. रामलाल पुत्र धौकला
2. कालू पुत्र दीपा
3. लाला पुत्र दीपा
   समस्त जाति मीणा
   निवासी श्यामपुरा(मोहनपुरा)
   तह. बस्सी।

बनाम

प्रतिवादी

1. छोटी देवी पत्नि धन्नालाल
2. कालूराम पुत्र धन्नालाल
3. टूण्डाराम पुत्र धन्नालाल
4. जन्सीराम पुत्र धन्नालाल
5. श्रवणलाल पुत्र धन्नालाल
6. कैलाश पुत्र धन्नालाल
   समस्त जाति मीणा समस्त निवासीगण
   सुजानपुरा तह. बस्सी।
7. छोटीलाल पुत्र दीपा
8. सुरेश पुत्र दीपा
9. कल्याणी पत्नि दीपा
10. नानगराम पुत्र नारायण
11. रामोतार पुत्र नारायण
12. कृष्णअवतार पुत्र नारायण
13. जयकुमार पुत्र नारायण
14. तीजा पत्नि नारायण
    समस्त जाति मीणा समस्त निवासीगण
    श्यामपुरा(मोहनपुरा) तह. बस्सी।
15. सबरजिस्ट्रार बस्सी।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
    बस्सी।

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 106/16 — निर्णय दिनांक 22.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मोहनपुरा में पेश हुई। तहसीलदार बस्सी से कुरैजात व नक्शे प्राप्त हुए जो शामिल मिसल है। उपस्थित मौतबिरान से वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा तहसीलदार बस्सी द्वारा कुरेजात सरस नरश व कब्जे के आधार पर बनाये जाने पर मौके पर ही अनुमोदन किया गया तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 196 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा ग्राम श्यामपुरा प. ह. मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 196 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदार रामलाल पुत्र धोंकला कोम मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 196/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार कालू छोटीलाल सुरेश पि. दीपा हि. 3/4 राहिन विजया बैंक शाखा मोहनपुरा लाला पु. दीपा हि. 1/4 बिना रहन कोम मीना सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 196/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार नानगराम रामोतार कृष्ण अवतार जयकुमार पि. नारायण तीजा पत्नि नारायण कोम मीना सा देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 196/3 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि खातेदार छोटी देवी पत्नि धन्नालाल कालूराम जन्सीराम श्रवणलाल कैलाश पि. धन्नालाल जाति मीणा सा. सुजानपुरा के हिस्से मे रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 22.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मोहनपुरा में मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. रामलाल पुत्र धौकला 2. कालू पुत्र दीपा 3. लाला पुत्र दीपा समस्त जाति मीणा निवासी श्यामपुरा(मोहनपुरा) तह. बस्सी।		1. छोटी देवी पत्नि धन्नालाल 2. कालूराम पुत्र धन्नालाल 3. टूण्डाराम पुत्र धन्नालाल 4. जन्सीराम पुत्र धन्नालाल 5. श्रवणलाल पुत्र धन्नालाल 6. कैलाश पुत्र धन्नालाल समस्त जाति मीणा समस्त निवासीगण सुजानपुरा तह. बस्सी। 7. छोटीलाल पुत्र दीपा 8. सुरेश पुत्र दीपा 9. कल्याणी पत्नि दीपा 10. नानगराम पुत्र नारायण 11. रामोतार पुत्र नारायण 12. कृष्णअवतार पुत्र नारायण 13. जयकुमार पुत्र नारायण 14. तीजा पत्नि नारायण समस्त जाति मीणा समस्त निवासीगण श्यामपुरा(मोहनपुरा) तह. बस्सी। 15. सबरजिस्ट्रार बस्सी। 16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 106/16 — निर्णय दिनांक 22.05.2018

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 196 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा ग्राम श्यामपुरा प. ह. मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से ख.नं. 196 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदार रामलाल पुत्र धोंकला कोम मीणा सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 196/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार कालू छोटीलाल सुरेश पि. दीपा हि. 3/4 राहिन विजया बैंक शाखा मोहनपुरा लाला पु. दीपा हि. 1/4 बिना रहन कोम मीना सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 196/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार नानगराम रामोतार कृष्ण अवतार जयकुमार पि. नारायण तीजा पत्नि नारायण कोम मीना सा देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 196/3 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि खातेदार छोटी देवी पत्नि धन्नालाल कालूराम जन्सीराम श्रवणलाल कैलाश पि. धन्नालाल जाति मीणा सा. सुजानपुरा के हिस्से मे रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। कुरैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भेजा जावें..........निजी.................मुबलिक....................बाबत.................................. ....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..... ....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05.18 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त........................ 22.5.18

ओहदा...............................

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

Contd--2

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर